कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 473/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 31.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं **प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 31.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत** कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस–विज्ञप्ति
थाना – सरायमीर, जनपद – आजमगढ़
दिनांक – 31.12.2025

➡ थाना सरायमीर पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में चोरी के मामले में वांछित, 10,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण:-

आज दिनांक 31.12.2025 को भोर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद आजमगढ़ द्वारा वांछित/इनामिया अभियुक्तों एवं वारण्टियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सरायमीर के थाना प्रभारी प्र0नि0 श्री निहार नन्दन कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की घटना में वांछित 10,000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त लालमन यादव पुत्र श्यामलाल यादव नन्दांव बाजार की ओर से सरायमीर की तरफ आ रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल पुलिस टीम के साथ नरदह पुलिया के पास घेराबंदी की गई। कुछ समय पश्चात नन्दांव की ओर से एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस बल द्वारा टॉर्च की रोशनी में रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया, किन्तु अभियुक्त द्वारा स्वयं को घिरता हुआ देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. लालमन यादव पुत्र श्यामलाल यादव, निवासी – भक्तिन का पूरा सरैया, थाना गोसाईंगंज, जनपद अयोध्या।

जो 10,000/- रुपये का घोषित इनामिया अभियुक्त है।

घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

➡ फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी:-

01. एक अदद तमंचा .315 बोर
02. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
03. एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर
04. एक अदद मिस कारतूस .315 बोर
05. ₹540/- रुपये नगद

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त लालमन यादव द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अपने साथी अवनीश तिवारी पुत्र हरिनारायण तिवारी निवासी ग्राम दौलताबाद, थाना जहानगंज के साथ मिलकर मार्च माह 2025 में थाना सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रसूलपुर में लगे एक मोबाइल टावर से बैटरियों की चोरी किया था।

पूर्व की घटना का विवरण:-

उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक – 06.03.2025 को वादी की तहरीर पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 – 86/25, धारा – 305, 331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा प्रयास किये जा रहे थे तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 10,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 497/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 – 86/25, धारा – 305, 331(4) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
02. मु0अ0सं0 285/17 धारा 379/411/413/41 भा0द0वि0 थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या ।
03. मु0अ0सं0 497/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

मुठभेड़/गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम:-

01. प्र0नि0 श्री निहार नन्दन कुमार, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
02. उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
03. हे0का0 विजय तिवारी, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
04. हे0का0 विजय प्रकाश, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
05. का0 रमेशचन्द गौड़, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
06. का0 पवनेश प्रताप सिंह, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
07. का0 उपेन्द्र यादव , थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।